

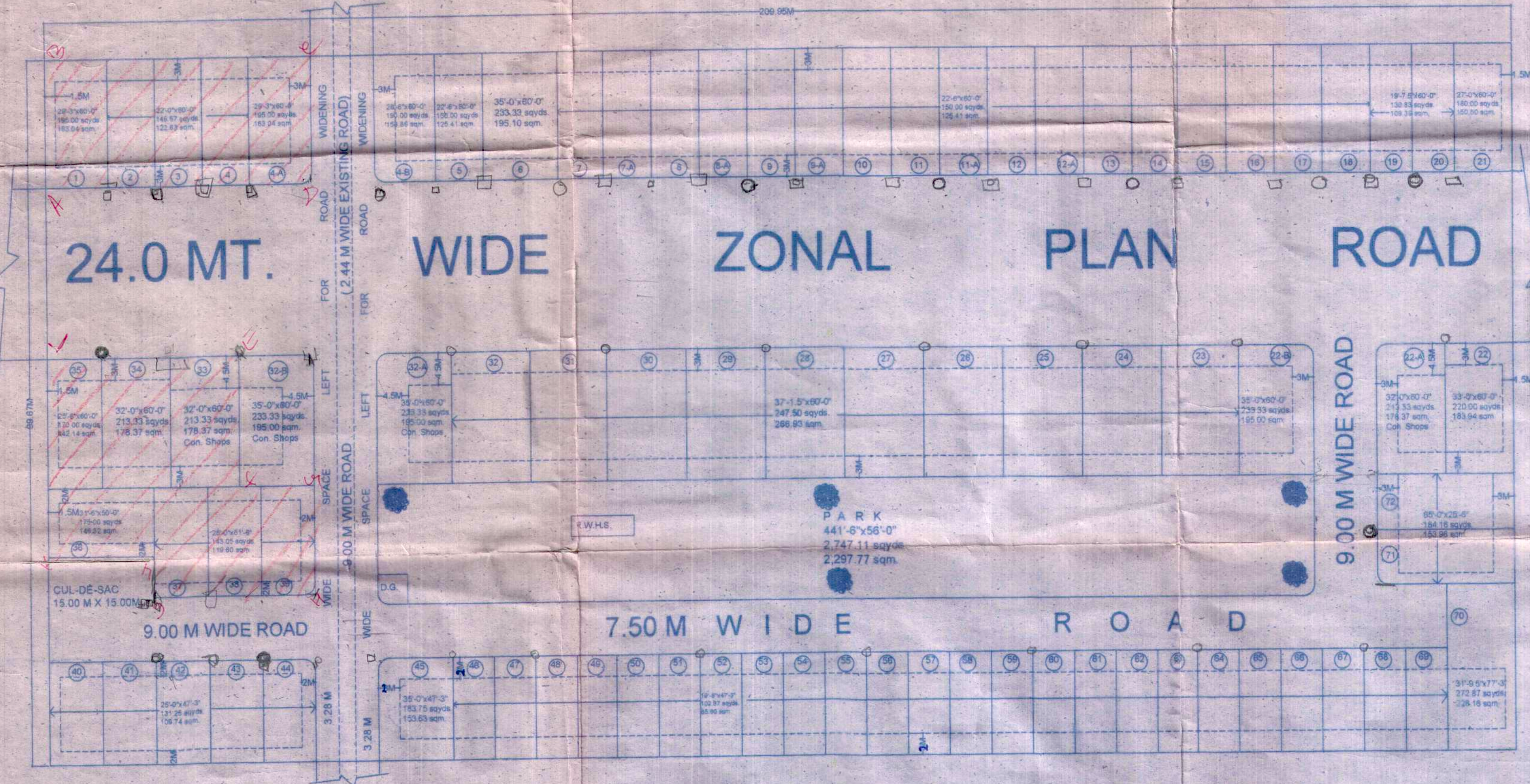
शर्तें:- 1- यह प्लान विन्डिंग-मार्किंग स्वीकृति के बिना ही प्रोपोज्ड स्वीकृत विन्डिंग मार्किंग के अतिरिक्त अन्य स्वीकृति प्रदान नहीं है।
2- अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत प्रमाणित है।
3- अनुसूचित क्षेत्र 08-3-2012 तक जारी है।
4- कृषि विकास अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है।
5- ए.डी.ए. 4.4.1.1 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
6- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
7- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
8- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
9- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
10- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
11- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
12- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
13- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
14- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
15- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
16- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
17- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
18- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
19- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
20- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
21- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
22- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
23- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
24- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
25- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
26- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
27- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
28- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
29- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
30- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
31- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
32- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
33- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
34- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
35- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
36- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
37- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
38- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
39- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
40- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
41- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
42- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
43- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
44- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
45- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
46- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
47- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
48- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
49- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
50- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
51- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
52- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
53- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
54- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
55- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
56- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
57- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
58- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
59- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
60- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
61- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
62- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
63- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
64- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
65- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
66- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
67- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
68- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
69- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
70- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
71- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
72- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
73- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
74- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
75- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
76- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
77- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
78- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
79- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
80- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
81- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
82- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
83- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
84- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
85- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
86- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
87- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
88- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
89- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
90- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
91- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
92- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
93- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
94- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
95- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
96- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
97- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
98- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
99- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।
100- एडमिशन 33 तक प्रमाणित है।

श्रीकांत का मत:- 1382/8-F.T./105-06
यह स्वीकृति उत्तर प्रदेश नगर योजना कोर बिल्डिंग अधिनियम 1973 के अंतर्गत जारी की गई है।
1973 की धारा 5 उपधारा (3) एवं इस विषय के अधिनियम नियमों के अनुसार जारी की गई है।
इस स्वीकृति से न लाभ लेने के लिए अधिकार प्राप्त है।
न कि 15-वर्ष के अंतर्गत नुकसान होना प्रमाणित है।
कि उसके साथ कोई कानूनी हस्तगत (Estoppel) स्वीकृति Admission मानो जाय। न उसका कोई अभाव सम्पत्ति सम्बन्धी किसी अधिकार पर पड़ेगा।
न कि कोई प्रकार का कानूनी प्रभाव पड़ेगा।
2) अनुसूचित क्षेत्र के साथ सम्बन्धित 1 एवं 2 के अधिनियमों के अनुसार निर्माण कार्य करना होगा।
स्वीकृत-मानचित्र स्वीकृत



प्रस्तावित स्थल पर रेनवाटर हावर्स्टिंग सिस्टम का प्रावधान करना होगा।

नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण
सहायक अभियन्ता
आगरा विकास प्राधिकरण



PLOT WISE AREA CHART

PLOT NO.	SIZE IN METER	AREA IN MXM	NO. OF PLOT	TOTAL AREA IN MXM
1	28'3"x60'0"	163.04	1	163.04
2-4	22'0"x60'0"	122.83	3	367.89
4-A	28'3"x60'0"	163.04	1	163.04
4-B	28'3"x60'0"	158.86	1	158.86
5	22'6"x60'0"	125.41	1	125.41
6	35'0"x60'0"	195.09	1	195.09
7-18	22'8"x60'0"	125.41	17	2131.97
19-20	19'7'5"x60'0"	109.39	2	218.78
21	27'0"x60'0"	150.50	1	150.50
22	32'8"x60'0"	183.94	1	183.94
22-B	35'0"x60'0"	195.09	1	195.09
23-32	37'1'5"x60'0"	206.94	10	2069.40
34	32'0"x60'0"	178.37	1	178.37
35	25'8"x60'0"	142.14	1	142.14
36	27'0"x60'0"	145.32	1	145.32
37-38	25'0"x51'8"	118.61	3	358.83
40-44	25'0"x47'3"	109.74	5	548.70
45	25'0"x47'3"	153.83	1	153.83
46-48	19'7'5"x47'3"	85.59	24	2054.16
70	21'8'6"x77'3"	228.18	1	228.18
71-72	23'8"x60'0"	153.86	2	307.96
22-A	32'0"x60'0"	178.37	1	178.37
32-A	33'0"x60'0"	195.00	1	195.00
32-B	33'0"x60'0"	195.00	1	195.00
33	32'0"x60'0"	178.37	1	178.37

NOTE:- LOCATION OF THE RAIN WATER HARVESTING SYSTEM CAN BE CHANGED DEPENDING UPON THE SITE CONDITION AND DESIGN

REFERENCE	LAYOUT PLAN FOR PROPOSED KAILASH RESIDENCY, PART-II, IN KHASRA NO.-185(PART), 186(PART), 187(PART), 188(PART) & 190(PART), SITUATED AT MAUZA-BARAULI AHIR, TAJGANJ WARD, AGRA.	AREA CHART	SQM	%	OWNER'S SIGN	SCALE-1:500
BOUNDARY OF THE COLONEY		TOTAL PLOT AREA	20,700.00		 OWNER'S SIGN	 SCALE-1:500
OTHER'S PROPERTY		LAND LEFT FOR ROAD WIDENING	5,524.00			
PARK		TOTAL NET AREA	15,176.00	100.00		
		AREA UNDER RESIDENTIAL PLOTS	10,236.69	67.46		
		AREA UNDER COMMERCIAL PLOTS	747.07	4.92		
		AREA UNDER PARK	2,279.77	15.02		
		AREA UNDER ROADS	1,894.47	12.48		
		AREA UNDER DALAY GHAR	18.00	0.12		
OWNER:- 1. SMT. RANJANA AGARWAL W/O SHRI PRAHLAD AGARWAL 2. SHRI RAJEEV AGARWAL S/O SHRI BRIJ MOHAN AGARWAL						

मानचित्र प्रकृत रूप में नहीं
महोदय के द्वारा प्रमाणित किया गया है
वनायक
Er: Mukesh Kumar Sharma
B. Tech. (Civil)
Design Point & Associates
Consulting Engineers
Regd. No. 04 Engr. A.D.A. Bhawan
13, Vishwakarma Complex, AGRA